

डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2022

प्रलिस के लिये:

डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, गोपनीयता का अधिकार, पुट्टास्वामी नरिणय, अन्य देशों के डेटा संरक्षण कानून

मेन्स के लिये:

डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2022 के प्रावधान, पुट्टास्वामी नरिणय, अन्य देशों के डेटा संरक्षण कानून

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने एक संशोधित व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जारी किया है, जिसे अब **डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2022** कहा जाता है।

- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2019 को वापस लेने के 3 महीने बाद यह अधिनियम पेश किया गया है।

डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2022 के सात सदिधांत:

- सबसे पहले संगठनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिये जो संबंधित व्यक्तियों के लिये वैध, नष्पिकष और पारदर्शी हो।
- दूसरे, व्यक्तिगत डेटा का उपयोग केवल उन उद्देश्यों के लिये किया जाना चाहिये जिनके लिये इसे एकत्र किया गया हो।
- तीसरा सदिधांत डेटा न्यूनीकरण की बात करता है।
- चौथा सदिधांत संग्रह की बात आने पर डेटा सटीकता पर जोर देता है।
- पाँचवाँ सदिधांत कहता है कि कैसे एकत्र किये गए व्यक्तिगत डेटा को "डिफॉल्ट रूप से स्थायी तौर पर संग्रहीत नहीं किया जा सकता है" और भंडारण एक नश्चित अवधितक सीमति होना चाहिये।
- छठा सदिधांत कहता है कि यह सुनश्चित करने के लिये उचित सुरक्षा उपाय होने चाहिये कि "व्यक्तिगत डेटा ककोई अनधकृत संग्रह या प्रसंस्करण नहीं हो"।
- सात सदिधांत कहता है कि "जो व्यक्ति व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों को तय करता है, उसे इस तरह के प्रसंस्करण के लिये ज़वाबदेह होना चाहिये"।

डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम की मुख्य वशिषताएँ:

- डेटा प्रसिपिल और डेटा न्यासी:
 - डेटा प्रसिपिल उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका डेटा एकत्र किया जा रहा है।
 - बच्चों (<18 वर्ष) के मामले में उनके माता-पिता/वैध अभिभावकों को उनके "डेटा प्रसिपिल" माना जाएगा।
 - डेटा न्यासी इकाई (व्यक्तिगत, कंपनी, फर्म, राज्य आदी) है, जो "किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के उद्देश्य और साधनों" को तय करता है।
 - व्यक्तिगत डेटा "कोई भी ऐसा डेटा, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है"।
 - प्रसंस्करण का अर्थ है व्यक्तिगत डेटा के संबंध में पूरा होने वाला "संचालन का चक्र" ही प्रसंस्करण कहलाता है।
- महत्त्वपूर्ण डेटा न्यासी:
 - महत्त्वपूर्ण डेटा न्यासी वे हैं जो व्यक्तिगत डेटा की उच्च मात्रा से नपिटते हैं। केंद्र सरकार कई कारकों के आधार पर परभाषति करेगी कि इस श्रेणी के तहत कसि नामति किया जाना है।
 - ऐसी इकाइयों को एक 'डेटा संरक्षण अधिकारी' और एक स्वतंत्र डेटा ऑडिटर नयुक्त करना होगा।
- व्यक्तियों के अधिकार:
 - जानकारी तक पहुँच:
 - अधिनियम यह सुनश्चित करता है कि व्यक्तियों को भारतीय संवधिान की आठवीं अनुसूची में नरिदषिट भाषाओं में "बुनयिदी

जानकारी तक पहुँचने" में सक्षम होना चाहिये।

- **सहमति का अधिकार:**
 - व्यक्तियों को उनके डेटा को संसाधित करने से पहले सहमति देने की आवश्यकता होती है और 'प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिये कि व्यक्तिगत डेटा के कौन से आइटम एक डेटा फ़ाइल में एकत्र करना चाहते हैं और इस तरह के संग्रह एवं आगे की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है'।
 - व्यक्तियों को डेटा फ़ाइल से सहमति वापस लेने का भी अधिकार है।
- **नष्ट करने का अधिकार:**
 - डेटा प्रसिपिल के पास डेटा फ़ाइल द्वारा एकत्र किये गए डेटा को मटाने और सुधार की मांग करने का अधिकार होगा।
- **नामांकित करने का अधिकार:**
 - डेटा प्रसिपिल को किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने का भी अधिकार होगा जो अपनी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में इन अधिकारों का प्रयोग करेगा।
- **डेटा संरक्षण बोर्ड:**
 - वधियक में वधियक का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये डेटा संरक्षण बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव है।
 - डेटा फ़ाइल से असंतोषजनक प्रतिक्रिया के मामले में उपभोक्ता डेटा संरक्षण बोर्ड में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- **सीमा पार डेटा स्थानांतरण:**
 - वधियक सीमा पार भंडारण एवं डेटा को "कुछ अधिसूचित देशों और क्षेत्रों" में स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, बशर्ते उनके पास उपयुक्त डेटा सुरक्षा परदृश्य हो तथा सरकार वहाँ से भारतीयों के डेटा तक पहुँच सके।
- **वित्तीय दंड:**
 - डेटा फ़ाइल हेतु:
 - वधियक उन व्यवसायों पर दंड लगाने का प्रस्ताव करता है जो डेटा उल्लंघनों से गुजरते हैं या उल्लंघन होने पर उपयोगकर्ताओं को सूचित करने में विफल रहते हैं।
 - जुर्माना 50 करोड़ रुपए से लेकर 500 करोड़ रुपए तक लगाया जाएगा।
 - डेटा प्रसिपिल हेतु:
 - यदि कोई उपयोगकर्ता ऑनलाइन सेवा के लिये साइन-अप करते समय झूठे दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है या तुच्छ शिकायत दर्ज करता है, तो उपयोगकर्ता पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
- **छूट:**
 - सरकार कुछ व्यवसायों को उपयोगकर्ताओं की संख्या और इकाई द्वारा संसाधित व्यक्तिगत डेटा की मात्रा के आधार पर वधियक के प्रावधानों का पालन करने से छूट दे सकती है।
 - यह देश के सटारटअप को ध्यान में रखते हुए किया गया है जिन्होंने शिकायत की थी कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण वधियक, 2019 बहुत अधिक "अनुपालन गहन" था।
 - राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित छूट, पछिले (वर्ष 2019) संस्करण के समान, बरकरार रखी गई है।
 - भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, वदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव या किसी भी संज्ञेय अपराध को रोकने के हित में केंद्र को अपनी एजेंसियों को वधियक के प्रावधानों का पालन करने से छूट देने का अधिकार दिया गया है।

डजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण वधियक का महत्त्व:

- नया वधियक भारत में डेटा के स्थानीय भंडारण की पछिले वधियक की विवादास्पद आवश्यकता से हटकर, सीमा पार डेटा प्रवाह पर महत्त्वपूर्ण रियायतें प्रदान करता है।
- यह डेटा स्थानीयकरण आवश्यकताओं पर अपेक्षाकृत नरम रुख प्रदान करता है और वैश्विक गंतव्यों का चयन करने के लिये डेटा हस्तांतरण की अनुमति देता है इससे देश-दर-देश व्यापार समझौतों को बढ़ावा देने की संभावना है।
- वधियक डेटा प्रसिपिल के पोस्टमॉर्टम प्राइवैसी (सहमति वापस लेने) के अधिकार को मान्यता देता है जो PDP वधियक, 2019 में नहीं था लेकिन संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा इसकी सफ़ारिश की गई थी।

भारत ने डेटा संरक्षण व्यवस्था को कैसे मज़बूत किया?

- **न्यायमूर्ति के. एस. पुट्टासवामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ 2017:**
 - अगस्त 2017 में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टासवामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि भारतीयों के पास नजिता का संवैधानिक रूप से संरक्षित मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का एक अभिन्न अंग है।
- **बी.एन. श्रीकृष्ण समिति 2017:**
 - सरकार ने अगस्त 2017 में न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में डेटा संरक्षण के लिये विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की, जिसने डेटा संरक्षण वधियक से संबंधित मसौदा और अपनी रिपोर्ट जुलाई 2018 में प्रस्तुत की।
 - रिपोर्ट में भारत में गोपनीयता कानून को मज़बूत करने के लिये अनेकों सफ़ारिशें हैं, जिनमें डेटा के प्रसंस्करण और संग्रह पर प्रतिबंध, डेटा संरक्षण प्राधिकरण, भूल जाने का अधिकार, डेटा स्थानीयकरण आदि शामिल हैं।
- **सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दशा-नरिदेश और डजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम 2021**
 - आईटी नियम (2021) के तहत सोशल मीडिया साइट्स को अपने द्वारा होस्ट की जाने वाली सामग्री का अधिक ध्यान रखना आवश्यक है।

अन्य देशों में डेटा संरक्षण कानून:

- यूरोपीय संघ मॉडल:
 - सामान्य डेटा संरक्षण विनियम व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण के लिये व्यापक डेटा संरक्षण कानून पर केंद्रित है।
 - यूरोपीय संघ में, नजिता का अधिकार एक मौलिक अधिकार के रूप में नहित है जो किसी व्यक्ति की गरिमा और उसके द्वारा उत्पन्न डेटा पर उसके अधिकार की रक्षा करने पर लक्षित है।
- संयुक्त राष्ट्र मॉडल:
 - अमेरिका में गोपनीयता अधिकारों या सदिधांतों का कोई समग्र विनियम नहीं है जैसा कि EU का GDPR, जो डेटा के उपयोग, संग्रह और प्रकटीकरण को विनियमित करता है।
 - इसके बजाय यह सीमिति क्षेत्र-वशिष्ट विनियमन है। सार्वजनिक और नजिी क्षेत्रों के लिये डेटा सुरक्षा के प्रतदृष्टिकोण अलग है।
 - गोपनीयता अधिनियम, इलेक्ट्रॉनिक संचार गोपनीयता अधिनियम जैसे व्यापक कानून के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी तथा सरकार की गतिविधियों और शक्तियों को अच्छी तरह से परभाषति एवं सूचति कया गया है।
 - नजिी क्षेत्र के लिये कुछ क्षेत्र आधारति वशिष्ट मानदंड हैं।
- चीन मॉडल:
 - पछिले 12 महीनों में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी जारी कयि गए नए चीनी कानूनों में व्यक्तिगत सूचना संरक्षण कानून (PIPL) शामिल है जो नवंबर 2021 में लागू हुआ था।
 - यह चीनी डेटा विनियमकों को नए अधिकार प्रदान करता है ताकि व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग को रोका जा सके।
 - डेटा सुरक्षा कानून (DSL), जो सतिंबर 2021 में लागू हुआ, व्यावसायिक डेटा को उनके महत्त्व के स्तरों के आधार पर वर्गीकृत करने की आवश्यकता है। DSL सीमा पार हस्तांतरण पर नए प्रतबिंध आरोपति करता है।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. 'नजिता का अधिकार' भारतीय संवधान के कसि अनुच्छेद के अंतरगत संरक्षति है? (2021)

- (a) अनुच्छेद 15
- (b) अनुच्छेद 19
- (c) अनुच्छेद 21
- (d) अनुच्छेद 29

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- 'पुट्टासवामी बनाम भारत संघ' (वर्ष 2017) मामले में नजिता के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार घोषति कया गया था।
- नजिता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संवधान के भाग-III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हसिसे के रूप में संरक्षति कया गया है।
- नजिता व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करती है और जीवन के महत्त्वपूर्ण पहलुओं को नयितरति करने की क्षमता को पहचानती है। नजिता पूर्ण अधिकार नहीं है, लेकिन इसे कोई भी अतिक्रमण वैधता, आवश्यकता और अनुपातिकता पर आधारति होना चाहयिे।

अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

प्रश्न. नजिता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतरभूत भाग के रूप में संरक्षति कया जाता है। भारत के संवधान में नमिनलखिति में से कसिसे उपरयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थति होता है?? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 एवं संवधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध
- (b) अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दयि राज्य की नीतिके नदिशक तत्त्व
- (c) अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएँ
- (d) अनुच्छेद 24 एवं संवधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय (SC) की नौ न्यायाधीशों की बेंच ने अपने फैसले में न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टासवामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वसम्मति से पुष्टि की कि नजिता का अधिकार भारतीय संवधान के तहत एक मौलिक अधिकार है।
- SC की बेंच ने कहा कि नजिता एक मौलिक अधिकार है क्योंकि यह संवधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान कयि गए जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी में अंतरनहिति है।

- पीठ ने यह भी कहा कि संविधान के भाग III में नहिति मौलिक अधिकारों द्वारा मान्यता प्राप्त और गारंटीकृत स्वतंत्रता एवं गरमा के अन्य पहलुओं से अलग-अलग संदर्भों में नजिता के तत्त्व भी उत्पन्न होते हैं ।

अतः विकल्प (c) सही उत्तर है ।

प्रश्न. नजिता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम नरिणय के आलोक में मौलिक अधिकारों के वसितार का परकिषण कीजयि । (मेन्स-2017)

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/digital-personal-data-protection-bill-2022>

